

## फार्म सी

### इसरो अनुसंधान अनुदानों के निबंधन एवं शर्तें

1. यदि इसरो की सहमति नहीं है तो स्वीकृत निधियों को केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिनके लिए वे मंजूर की गई हैं। प्रति वर्ष के अंत में निधि पाने वाले संस्थान को इस आशय का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा कि निधियों को सही तरीके से खर्च किया गया है।
2. इसरो की स्वीकृति में तैयार की गई सभी रिपोर्टें तथा प्रकाशनों में इसरो से प्राप्त सहायता का उल्लेख होना चाहिए। इसरो सहायक परियोजना पर आधारित किसी भी कार्य के प्रकाशन से पूर्व इसरो की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
3. अनुदान प्राप्त अनुसंधान पर तैयार सभी प्रकाशनों की दो प्रतियाँ इसरो को भिजवानी होगी।
4. किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार अथवा ऐसी सूचना संबंधी अधिकार या सृजन में सक्षम होने अथवा इसरो द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान/ अनुसंधान एवं विकास द्वारा संयुक्त रूप से इसरो के रेस्पॉन्ड नियमों के तहत प्रायोजित किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थान/ अनुसंधान एवं विकास एवं इसरो द्वारा किसी भी परियोजना को प्रायोजित करने से पूर्व किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार की संरक्षा के बारे में एक दूसरे को सूचित करना आवश्यक होगा। शैक्षिक संस्थान/अनुसंधान एवं विकास संस्थान एवं इसरो द्वारा भारत के कानून नियमों एवं विनियमों के अनुरूप सहयोग से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस पेटेंट के किसी भी व्यावसायिक शोषण के कारण सभी वित्तीय उपार्जन को समान रूप से आधा-आधा बहन किया जाएगा। कोई भी पक्ष और वाणिज्यिक आधार पर अपने स्वयं के उपयोग के लिए आईपीआर का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।
5. कार्य की प्रगति को दर्शाने के लिए मुख्य अनुसंधाता को वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ भेजनी होगी। परियोजना के समापन पर मुख्य अनुसंधाता को अनुसंधान/ विकास कार्य के परिणामों पर विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट की दो प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होगी। ये रिपोर्टें इसरो की संपत्ति होगी।
6. इसके अतिरिक्त, इसरो द्वारा मनोनीत वैज्ञानिकों विशेषज्ञों को/समय समय पर-संस्थान के दौरे अथवा कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है।
7. इसरो प्रदत्त निधियों से खरीदे गए सामान की सूची इसरो को भिजवानी चाहिए। इसमें संस्थान के प्रशासन द्वारा खरीद के प्रमाण पत्र सहित उपस्करों के ब्यौरा, रुपयों में मूल्य, खरीद की तारीख व सुपुदगी कर्ता के नाम का उल्लेख होना चाहिए। वे सभी उपस्कर व उपभोज्य सामग्रियां, जिनका

मूल्य 5000/- रुपये से अधिक है, इसरो की संपत्तियाँ होंगी तथा उन्हें परियोजना की समाप्ति पर स्थानांतरित अथवा निपटान का अधिकार इसरो के पास सुरक्षित रहेगा।

8. इसरो निधि से किए गए खर्चों का उचित हिसाब रखना होगा तथा किसी स्वीकृत लेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखापरीक्षा करानी होगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इसरो को दो प्रतियों में लेखापरीक्षित लेखे का विवरण वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंतरिक्ष विभाग/वरिष्ठ लेखा अधिकारी, इसरो मुख्यालय को भिजवाने होंगे।
9. परियोजना की संपूर्ण अवधि के दौरान मंजूर की गई कुल राशि खर्च नहीं की गई, तो बची हुई बकाया राशि को परियोजना समापन से एक माह के अंदर वेतन एवं लेखा अधिकारी, इसरो मुख्यालय को लौटाना होगा।
10. इसरो अनुदान से पूर्व अथवा पर्याप्तरूप से अर्जित की गई परिसंपत्तियां इसरो की अनुमति के बिना नहीं निपटाई जानी चाहिए या उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।
11. संस्थान द्वारा स्थाई व अर्ध-स्थायी परिसंपत्तियों का रजिस्टर अनुरक्षित करना होगा जिसे लेखा परीक्षकों द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध कराना होगा।
12. यदि संस्थान निर्धारित परियोजना कार्य को पूरा करने में असमर्थ है तो वह परियोजना के उपयोग के लिए सहायता अनुदान राशि को किसी अन्य संस्थान को नहीं दे सकेगा। ऐसे मामलों में अनुदान की संपूर्ण राशि इसरो को तुरंत लौटानी होगी।
13. इसरो अनुसंधान अनुदान की शर्तों व निबंधनों को समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु इसरो की निधियों के साथ परियोजना के शुरू होने की तिथि तक वे शर्तें व निबंधन ही लागू होंगे, जो परियोजना के प्रारंभ में थे।

## घोषणा

मैंने/हमने उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और इसरो अनुसंधान अनुदान के नियम एवं विनियम का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ और इस कार्य के लिए बनाए गए सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं।

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ कि मैंने/हमने अनुदान संबंधी, इस अवधि के दौरान, इस कार्य हेतु किसी अन्य केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से कोई अनुदान सहायता नहीं प्राप्त की है

	हस्ताक्षर एवं नाम	पद नाम	मोबाइल नं.	ई-मेल आईडी
मुख्य अनुसंधाता				
प्रभाग/क्षेत्र का प्रमुख				
संस्थान का प्रमुख				